RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 30/2024

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थी–**

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अमानाराम निवासी पाटोदी, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री दिनेश कुमावत, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित ।

आदेश

दिनांक : 26.03.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 17.10.2024 को श्री रामावतार पुनिया प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स हरिओम स्वीट होम पाटोदी के गोदाम पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री राकेश उपस्थित मिले। मौके पर 3 घरेलु गैस सिलेण्डर व्यावसायिक दुरूपयोग करना वक्त जांच पाया गया।, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	0970846 जेड	Indane	16 Kg	15.5 Kg	.500 Kg
2.	56586	Indane	15.6 Kg	15.6 Kg	0
3.	82977	Indane	15.5 Kg	15.5 Kg	0

2. मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर द्वारा व्यवसायिक दुरूपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स महेश एचपी गैस ग्रामीण वितरण पाटोदी के मैनेजर श्री कुशालचन्द्र को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

जिला कलक्टर
बालोतरा

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता दौरान बहस कथन किया कि अप्रार्थी के दुकान व घर पास पास है। उक्त सिलेण्डर खाली थे जो घर के लिए भरवाने के लिए रखे थे तथा एक सिलेण्डर में मात्र 500 ग्राम ही गैस थी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

5. हमने सरकारी पैरोकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेने पर उक्त सिलेण्डर मैसर्स महेश एचपी गैस ग्रामीण वितरण पाटोदी के मैनेजर श्री कुशालचन्द को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

7. आदेश आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सु[redacted]मार यादव)
जिला [redacted], बालोतरा